न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

बृजलाल मीणा पुत्र श्री कजोडया मीणा निवासी ग्राम जीरोता तहसील सपोटरा जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सपोटरा, जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.—20/19 ता.रजु—21.10.19

अपीलअंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक—06.11.2019

1. अपीलाण्टउपस्थित।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को दिनांक—02.08.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम जीरोता में स्थित सरकारी पहाडी भूमि खसरा नं0 199 रकबा 169 बीघा 10 बिस्वा पर हुये अतिक्रमण के फसल काश्त करने 2—3 कुंआ बनाने तथा विद्युत विभाग से जबरन कृषि कनेक्शन करवाने आदि से संबंधित सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 02.08.2019 को प्रेषित आवेदन पत्र की छायाप्रति, आवेदन पत्र के साथ संलग्न शुल्क का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
5. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलाण्ट को निःशुल्क सूचना 30 दिवस के अंदर उपलब्ध करवाते हुये इस कार्यालय को भी एक प्रति भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करें।
6. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:08:50 IST
Reason: SelfAttested